इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018—वैशाख 24, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2018

क्र. एफ-बी-1-14-2018-2-पांच-(32).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम, 2002 में निम्नलखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

'बीयर' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में उनके लिए दिया गया है और उसमें ड्रॉट बीयर सम्मिलित है, जो सीलबंद मंजूषाओं या पीपों या अन्य पात्रों में पैक की गई अपाश्चुरीकृत/पाश्चुरीकृत बीयर है.''.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2018

क्र. एफ-बी-1-14-2018-2-पांच-(32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-बी-1-14-2018-2-पांच-(32), दिनांक 14 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th May 2018

No. F-B-1-14-2018-2-V (32).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 62 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, 2002, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) 'Beer' shall have the same meaning as assingned to it in sub-section (1) of Section 2 of the Act and includes Draught Beer that is unpausteurised/pasteurised beer packed in sealed casks or kegs or other receptacles.".

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.